79

Speed Post

79/80 .1/20012/11/2011-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

13 JUN 2012
हस्ताक्षर/Intls.
प्रा० तथा प्रे०/R&I/LNB

एन.डी.सी.सी-II भवन, जयसिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 जून, 2012

13 JUN 2012

सेवा में

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय:- संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-9 पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित करने के संबंध में |

महोदय/महोदया,

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के प्रावधान के तहत गठित संसदीय राजभाषा समिति, जिसका कर्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुर्नविलोकन कर, उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, ने अपने प्रतिवेदन का खण्ड 9 दिनांक 2.6.2011 को महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया | इसकी प्रति लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमश: 30.8.2011 व 7.9.2011 को रखी गईं, जोकि राजभाषा विभाग की वैब-साइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है | राजभाषा अधिनियम की धारा 4 (4) के प्रावधान के अनुसार उक्त खण्ड पर सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से उनका मत प्राप्त कर, उस पर विचार करने के पश्चात इस खण्ड पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित होंगे |

2. प्रतिवेदन के खंड में मुख्यत: समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों का सार, मंत्रालयवार एवं क्षेत्रवार मुल्यांकन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं इन्हें दूर करने के लिए सुझाव, हिंदी का प्रयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुवाद आदि में कम्प्युटरों की नई तकनीकी उपलब्धता एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापनों में हिदी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं, हिंदी पुस्तकों का क्रय और हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य और समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है |

(86)

3. अनुरोध है कि प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र की सुविचारित टिप्पणी राजभाषा विभाग को भेज दें ताकि प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित किए जा सके।

भवदीय,

(डी.के. पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

20012/11/2012

87

सं.1/20012/11/2011-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी-II भवन, जयसिंह रोड़,
नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जून, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-9 पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित करने के संबंध में |

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के प्रावधान के तहत गठित संसदीय राजभाषा समिति, जिसका कर्त्तव्य संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुर्नविलोकन कर, उस पर अपनी सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, ने अपने प्रतिवेदन का खण्ड 9 दिनांक 2.6.2011 को महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया | इसकी प्रति लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमश: 30.8.2011 व 7.9.2011 को रखी गई, जोकि राजभाषा विभाग की वैब-साइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है |

2. प्रतिवेदन के खंड में मुख्यत: समिति द्वारा किए गए निरीक्षणों का सार, मंत्रालयवार एवं क्षेत्रवार मुल्यांकन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं इन्हें दूर करने के लिए सुझाव, हिंदी का प्रयोग, शिक्षण, प्रशिक्षण व अनुवाद आदि में कम्प्युटरों की नई तकनीकी उपलब्धता एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, केंद्र सरकार द्वारा विज्ञापनों में हिंदी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं, हिंदी पुस्तकों का क्रय और हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य और समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की गई है |

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर अपनी सुविचारित टिप्पणी राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित किए जा सके |

(डी.के. पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)

स्पीड पोस्ट के द्वारा

फाईल संख्या–1/20012/11/2011--रा0भा0(नीति/के0अनु0ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड,

"बी" विंग,चौथी मंज़िल,नई दिल्ली-110001,

दिनांक 18.02.2013

18 FEB 2013

सेवा में,

(संलग्न सूची के अनुसार)

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-9 पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे राजभाषा विभाग के दिनांक 13 जून,2012 के समसंख्यक पत्र (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ लेने, और यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खंड–9 में की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र से उनकी सुविचारित टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अनुरोध है कि प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर अपनी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र की सुविचारित टिप्पणी राजभाषा विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति के आदेश पारित किए जा सकें।

भवदीय,

(रतिराम)

उप सचिव,भारत सरकार

दूरभाष:23438150